

FROM NO. III

फर्द अहकाम
(नियम 26)

अज अदालत उपखण्ड अधिकारी मुकाम डूंगला जिला वित्तीडगढ

बनाम

नं. 15412 सन 2022

किरम मुकदमा पत्थरगढी

नम्बर व तारीख अहकाम
जो इस हुक्म की तारीख
की तारीख में जारी हुए

तारीख हुक्म

शुक्ल या कार्यवाही मय इनिथिल्स जज

16-6-22

प्रार्थी की ओर से वकील श्री लीला श्यामिणी आर
ने प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 128 एल0आर0एक्ट के तहत
मय नकल जमाबन्दी एवं नक्शा ट्रेस के प्रस्तुत किया जो
बाद जांच पेश हुआ। दर्ज रजिस्टर किया गया
सशिप्त विवरण प्रार्थना पत्र इस प्रकार है कि प्रार्थी ने एक
प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 128 एल0आर0एक्ट के तहत इस
आशय का प्रस्तुत किया कि मौजा सांगरिया पटवार
मण्डल लोठियाना तहसील डूंगला की आराजी नम्बर ...
11731318

रकबा 2.1606 हैक्टर/बीघा भूमि स्वयं के खातेदारी होकर
राजस्व रेकार्ड में दर्ज है, जिसका कोई स्थायी सीमा चिन्ह
नहीं है। तथा विपक्षीगण आराजी के पड़ोसी है प्रार्थी और
विपक्षी के मध्य आराजी सीमा को लेकर आये दिन विवाद
होता रहता है, इसलिए उपरोक्त आराजीयात की पत्थरगढी
कराई जावे।

पत्रावली पर उपलब्ध राजस्व अभिलेख का अवलोकन किया
गया, वहसा सुनी गई। प्रार्थी जैर वहस आराजी का खातेदार
होकर उन्हें नपती कराने का अधिकार निहित है। अतः
तहसीलदार डूंगला को 2007 - अक्षरे 2 हजार रुपये फीस
पर कमीशनर नियुक्त किया जाकर आदेशित किया जाता है
कि मुकदमा पक्षकारान की उपस्थिति में बंदोबस्ती नक्शे के
अनुसार बिना किसी के कब्जे काशत में दखल दिये मौजा ...
सांगरिया पटवार मण्डल लोठियाना तहसील
डूंगला की आराजी नम्बर 11731318

रकबा 2.1606 है0/बीघा भूमि की पत्थरगढी
मुकममल तौर पर की जावें।
पत्थरगढी पालना प्रतिवेदन दिनांक 16-7-22 तक
न्यायालय हाजा में प्रस्तुत करें। पालना रिपोर्ट प्राप्त होने पर
संलग्न पत्रावली हो।

पत्रावली फौसल सुमार होकर नम्बर से कम हो।

Ja
उपखण्ड अधिकारी
डूंगला